लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक स्था.2/राज/सी/बी.ई.ओ./ 92/09/1339 भोपाल,दिनांक 22/10/09

//आदेश//

संचालनालय लोक शिक्षण द्वारा निम्नांकित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारियों के स्वेच्छिक स्थानान्तरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख कॉलम क्रमांक 4 में अंकित कार्यालय (वि.ख.शि.) में स्वंय के व्यय पर किये जाते है।

2/ यह स्थानान्तरण स्वेच्छा से स्वंय के व्यय पर किये जा रहे है अतः इन्हे किसी प्रकार के यात्रा भत्ते इत्यादी की पात्रता नही होगी।

स. क्र.	बी.ई.ओ.का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
1	2	3	4
1.	श्री सीताराम तिवारी (बीईओ)	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी सुसनेर जिला शाजापुर	कार्या.वि.खं.शिक्षा अधि.-सिरमौर जिला रीवा

"प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार"

आयुक्त
लोक शिक्षण म.प्र.

पृष्ठा.क्रमांक/स्था.2/राज/सी/बी.ई.ओ./92 /09/1340 भोपाल,दिनांक 22/10/09

प्रतिलिपि–

1. निज सहायक,मान.मंत्रीजी स्कूल शिक्षा, म.प्र.शासन, मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन,स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र.शासन मंत्रालय भोपाल।
3. कलेक्टर जिला शाजापुर/रीवा म.प्र.।
4. संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभागीय कार्यालय उज्जैन/ रीवा म.प्र.।
5. जिला कोषालय अधिकारी जिला, रीवा म.प्र.
6. जिला शिक्षा अधिकारी शाजापुर/रीवा की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित वि.खं.शि.अधिकारी को कार्यमुक्त करने के पूर्व संबंधित के सेवाअभिलेख से यह पुष्टि कर ले कि स्थानान्तरित वि.ख.शि.अ. वर्तमान में सेवारत है, स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी है एवं स्थानान्तरित वि.ख. में पद रिक्त है, तथा स्थानातंरित वि.ख.शि.अधिकारी की पदस्थापना जिस विकास खण्ड में की गई हैं, वह उनका गृह विकास खण्ड तो नहीं हैं । पूर्ण रूप से आश्वस्त होने पर ही संबंधित को एक सप्ताह में कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाये। यदि संबंधित अधिकरी के संबंध में किसी प्रकार की गलत एवं विपरीत जानकारी प्रकाश में आती है तो आदेश का पालन न करते हुये वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अवगत करावे। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण उत्तरदायी होंगे। आदेश के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन 15 दिवस में अनिवार्य रूप से संचालनालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे। संबंधित लोकसेवक से स्थानातंरण संबंधी प्रमाणित आवेदन पत्र प्राप्त करने उपरांत ही उपस्थित कराने की कार्यवाही करें ।
7. संबंधित कार्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी।
8. संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी की ओर सूचनार्थ ।

आयुक्त
लोक शिक्षण म.प्र.